बिहार में रांची में डोरन्डा स्थित श्यामली कालोनी में निर्माण कम्पनियों द्वारा मजदूरों का शोषण

115. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :**

डा० बापू कालदाते :

डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ संसद सदस्यों ने 20 दिसम्बर, 1985 के अपने पत्र में यह पूछा है कि उन पांच कम्पनियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है, जो बिहार के रांची में डोरन्डा नामक स्थान पर श्यामली कालोनी के निर्माण कार्य में उनके द्वारा लगाए गए मजदूरों का शोषण करने की दोषी पाई गई थी ;

(ख) उनके विरुद्ध लगाए गए कौन-कौन से आरोप प्रमाणित हो चुके हैं; और

(ग) इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) संसद सदस्य श्री हुक्मदेव नारायण यादव ने 4.4.1985 को एक पत्र लिखा था जो, डोरन्डा, रांची बिहार में स्थित श्यामली कालोनी में निर्माण श्रमिकों के अभिकथित शोषण के बारे में था । इस मामले की बिहार सरकार के माध्यम से जांच-पड़ताल करवाई गई थी और माननीय संसद सदस्य को सूचित किया गया था कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, के अधीन पांच ठेकेदारों के खिलाफ अभियोजन मामले दर्ज किए गए हैं । उक्त माननीय संसद सदस्य ने फिर 20.12 1985 को एक पत्र लिखकर यह मांग की कि राज्य श्रम विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए । और ठेकेदारों के खिलाफ दांडिक कार्रवाई की जानी चाहिए । उन्होंने भविष्य निधि की देय राशियों की अदायगी के बारे में भी जांच पड़ताल करने का अनुरोध किया था । माननीय संसद सदस्य को 6.2. 1986 को यह उत्तर भेज दिया गया है कि चूंकि उनके पत्र में उठाए गए अधिकांश मामले बिहार सरकार से संबंधित हैं, इसलिए उनके पत्र को आवश्यक कार्रवाई के लिए उस सरकार को भेज दिया जा रहा है और केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त से कहा जा रहा है कि भविष्य निधि की देय राशियों के बारे में जांच-पड़ताल करें । बिहार सरकार और केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को तदनुसार लिख दिया गया है ।

मजदूरों को विदेश भेजने वाली कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही

116. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :**

डा० बापू कालदाते :

डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी :

क्या **श्रम** मंत्री मजदूरों को विदेश भेजने के कार्य में लगी कंपनियों द्वारा कथित धोखाधड़ी किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सभा में 3 दिसम्बर, 1985 को तारांकित प्रश्न 206 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केवल 14 कंपनियों के लाइसेंस रद्द किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) गैर पंजीकृत कंपनियों को मजदूरों को विदेश भेजने का अधिकार दिये जाने के क्या कारण हैं और क्या इसके लिए आव्रजन प्रमाणपत्र जारी करना आवश्यक था ;

(ग) क्या उन विदेशी कंपनियों, जिनके विरुद्ध आरोप लगाए गए थे, की सरकारों के साथ इस मामले को उठाया गया था; यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) जिन कंपनियों के विरुद्ध आरोप लगाए गए थे, उन्होंने कितने-कितने

लोगों को किस-किस देश में भेजा था और क्या इस प्रकार भेजे गए लोगों को कोई काम दिया गया था या नहीं ; और

(ङ) क्या यह सच है कि बहुत से लोगों को भारतीय दूतावासों द्वारा वापस भेज दिया गया; यदि हां, तो क्या इस कारण हुए खर्च को उन कंपनियों से वसूल किया जाएगा ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) इन 14 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि उनके खिलाफ छल और कपट करने का प्रत्यक्षतः सबूत था जबकि अन्य मामलों में जांच-पड़ताल चल रही है ।

(ख) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अनुसार, केवल पंजीकृत भर्त्ती एजेन्ट ही विदेशों में श्रमिकों को भेज सकते हैं किसी भी अपंजीकृत भर्त्ती एजेन्ट को श्रमिकों को विदेशों में भेजने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया है ।

(ग) जब कभी विदेशी कम्पनियों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उन्हें संबंधित भारतीय दूतावासों के साथ उठाया जाता है जो उस मामले को, आवश्यक होने पर, विदेशी सरकारों के साथ उठाते हैं ।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

(ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार विदेशी कम्पनियों में नियोजित किसी भी श्रमिक को भारतीय दूतावासों द्वारा सरकारी खर्च पर वापस नहीं भेजा गया ।

मजदूरों को विदेश भेजने वाली भर्ती एजेंसियां

117. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :**

डा० बापू कालदाते :

डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी :

क्या **श्रम** मंत्री 3 दिसम्बर, 1985 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 206 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि समय-समय पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर भर्त्ती एजेन्टों के 82 मामलों की जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : शेष 82 एजेन्टों में से, 42 एजेन्ट श्रम मंत्रालय के पास पंजीकृत नहीं हैं और उनके मामले समुचित दाण्डिक कार्रवाई के लिए पुलिस के पास भेज दिए गए है ।

3.12.1985 को राज्य सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 206 का उत्तर दिए जाने के बाद पंजीकृत एजेंटों के विरूद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :—

एक एजेंट का पंजीकृत प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया है;

8 एजेंटों के पंजीकृत प्रमाणपत्र निलंबित कर दिए गए है;

3 भर्ती एजेंटों की बैंक प्रतिभूति राशि जब्त करने की कार्रवाई की गई है; और

पुलिस प्राधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त होने पर, 6 भर्ती एजेंटों के विरूद्ध चल रहे मामले निपटा दिए गए हैं ।